

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/17/2018/18-5
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2018

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- दतिया विकास योजना (प्रारूप) 2021 का प्रारूप प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिसूचना दिनांक 30/01/2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 02/02/2018 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 02/02/2018 को प्रकाशित कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न : यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

पृ0क्रमांक-एफ-3/17/2018/18-5
प्रतिलिपि:-

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की और अग्रोषित कर अनुरोध है कि उक्त विकास योजना की अधिसूचना को संचालनालय की बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

Supriya

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आपक क्र.	1675
दिनांक.	03/2/18
शाखा.	
संयु. संचा. (स्था.)	संचालक

A021
AR10

Pl upload the book Asap.

3/2
3/2

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

कमांक / 449 / वि.यो.467 / नग्रानि / 2018


भोपाल, दिनांक 28/11/2018

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दतिया निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 02.02.2018 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.
2. जिला कलेक्टर, दतिया, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दतिया, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

**DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL**

No. ⁴⁴⁹ -/MPS-467/TCP/2018

Bhopal, dated: 31/1/2018

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Datia Planning area has been published on 02-02-2018 in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973(No.23 of 1973), a copy thereof is available,during office hours, for inspection at office of :-

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector , District- Datia
3. Chief Municipal officer, Muncipal Council, Datia
4. Joint Director, Town and Country Planning, District office Gwalior

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


[Swati Meena Naik]
Director ,

Town and Country Planning,
Madhya Pradesh , Bhopal